निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 12/2021 (अपील)

1. रिंकू मीणा पुत्री लालूराम मीणा पत्नी श्री रिंकू लाल मीणा निवासी ग्राम कोटखावदा जिला जयपुर।
2. धापू मीणा पुत्री श्री लालूराम मीणा पत्नी श्री मनोज कुमार मीणा निवासी ग्राम कोटखावदा जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग,गांधी नगर, जयपुर।
2. उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर ।
3. उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष आंगनबाडी कार्यकर्ता, चयन कमेटी चाकसू, जिला जयपुर।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेन्ट

उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 14/2018–19, दिनांक 11.09.2016 की अनुपालना में आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6, जिला जयपुर में अपीलार्थीगण को क्रमश–आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी के पद पर नियुक्त दिये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. प्रतिनिधि अपीलार्थी की ओर से ।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।

कलक्टर जयपुर जिला

आदेश दिनांक 12.08.2021

1. अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 13917/2020 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2021 के निर्देशानुसार अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा जिले में स्थित विभिन्न आंगनबाडी केन्द्रों में आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगनी की नियुक्ति बाबत विज्ञप्ति संख्या 14/2018–19 दिनांक 11.09.2018 जारी की गई थी। जिसमें विज्ञप्ति अनुसार आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6 में आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी के एक–एक पद थे जो अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित थे। अपीलार्थी बी एड उत्तीर्ण है तथा विज्ञप्ति अनुसार आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद हेतु उच्च योग्यता रखती है। अपीलार्थी संख्या 1 ने निर्धारित समय मे आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6 में आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद बाबत दिनांक 26.09.2018 को आवेदन किया तथा अपीलार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

संख्या 2 ने उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6 ने आशा सहयोगिनी के पद हेतु दिनांक 26.09.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थीगण उपरोक्त उल्लेखित आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6, के कार्यकर्ता पद हेतु निर्धारित योग्यता रखती है तथा उक्त पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है जो कि विज्ञप्ति दिनांक 11.09.2018 से स्पष्ट जाहिर है, परन्तु विपक्षी संख्या 2 व 4 के द्वारा बिना किसी आधार एवं अवैद्यानिक रूप से आदेश दिनांक 21.01.2019 के द्वारा श्रीमती गुड्डी सैनी जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध नहीं रखती है, का चयन कर दिया जबकि विज्ञप्ति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आंगनवाडी केन्द्र कोटखावदा–6, में कार्यकर्ता का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित था। विपक्षीगण ने उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र में आशा सहयोगिनी के पद पर किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गई। आदेश दिनांक 21.01.2019 की जानकारी मिलते ही जिसके अन्तर्गत उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र में कार्यकर्ता पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थान पर ओबीसी वर्ग से संबंधित श्रीमती गुड्डी सैनी का चयन कर दिया गया । अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष आंगनबाडी चयन कमेटी चाकसू को अभ्यावेदन दिनांक 13.02.2019 प्रस्तुत कर उक्त केन्द्र में आंगनबाडी कार्यकर्ता के रूप में चयनित श्रीमती गुड्डी सैनी की नियुक्ति निरस्त कर अनुसूचित जन जाति श्रेणी की महिला का चयन करने बाबत निवेदन किया जिस पर विपक्षी संख्या 3 के द्वारा विपक्षी संख्या 4 को आदेश दिया कि प्रकरण की जांच करवा कर कार्यवाही कर रिपोर्ट करे। अपीलार्थी द्वारा उक्त अवैद्य चयन आदेश दिनांक 21.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुये रेस्पोडेन्टस् ने आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6, पर किये गये अवैद्य नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया तथा उक्त आंगनबाडी केन्द्र पर कार्यकर्ता के रूप में अपीलार्थी संख्या 1 का चयन किया गया तथा यह आश्वस्त किया गया कि शीघ्र ही उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र में आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दे दी जावेगी, परन्तु विपक्षीगण द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को उपरोक्त केन्द्र में कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति नहीं दिये जाने पर अपीलार्थी संख्या 1 ने पुनः दिनांक 18.08.2019 को विपक्षी संख्या 2 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र में कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दिये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गौर नही करने एवं उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र में कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर अपीलार्थीगण द्वारा रेसपोडेन्टस को कानूनी नोटिस प्रस्तुत कर उपरोक्त केन्द्र में आंगनबाडी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी के पर पर नियुक्ति दिये जाने का निवेदन किया गया जिस पर विपक्षी संख्या 4 ने जवाब कानूनी नोटिस दिनांक 24.10.2019 प्रेषित कर उल्लेख किया गया कि श्रीमती रिंकू मीणा द्वारा दिनांक 13.02.2019 के उपखण्ड अधिकारी चाकसू को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं चयन किये जाने बाबत निवेदन करने के पश्चात श्रीमती रिंकू मीणा का दिनांक 18.02.20419 को चयन किया गया । जबाब नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में अग्रिम मार्गदर्शन बावत कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को लिखा गया है, परन्तु मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थी संख्या 1 आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु उच्च योग्यता रखती है विपक्षीगण द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 11.09.22018 के अनुसार उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। चूंकि आवेदनकर्ताओं में सबसे अधिक योग्यता अपीलार्थिया ही रखती है, परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा कानून के विपरीत जाकर

कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

अवैध रूप से अनुसूचित जन जाति की महिला के स्थान पर ओबीसी वर्ग की महिला श्रीमती गुड्डी सैनी का अवैध रूप से चयन कर दिया जबकि ऐसा करने से पूर्व उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 11.09.2018 में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन भी नहीं किया गया । इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने किसी तरह से विभागीय नियमों, दिशा निर्देशों एवं कानून की अवहेलना की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6, जिला जयपुर में अपीलार्थी संख्या 1 को आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं अपीलार्थी संख्या 2 को आशा सहयोगिनी के पद पर नियुक्ति दिये जाने का आदेश फरमावें।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया ।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

5. अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी संख्या 2 ने उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र में आशा सहयोगिनी के पद बाबत आवेदन किया तथा उक्त पद अनुसूचित जन जाति की महिला के लिए आरक्षित था, परन्तु विपक्षीगण ने जानबूझ कर आज दिनांक तक अपीलार्थी संख्या 2 को नियुक्ति नहीं दी गई जबकि अपीलार्थी संख्या 2 ने विपक्षीगण को बार बार लिखित एवं मौखिक रूप से निवेदन कर चुकी है, परन्तु विपक्षीगण द्वारा जान बूझ कर उक्त पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र में अवैध रूप से चयनित आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती गुड्डी सैनी के चयन आदेश निरस्त करने पश्चात अपीलार्थी संख्या 1 का उक्त पद पर चयन किया गया, परन्तु विपक्षीगण ने अपीलार्थी संख्या 1 को उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6, में आंगनबाडी कार्यकर्ता के रूप मे नियुक्ति नहीं दी गई जबकि अपीलार्थी संख्या 1 ने इस बाबत विपक्षीगण को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से निवेदन किया गया। आंगनबाडी केन्द्र में अपीलार्थीगण को नियुक्ति नहीं दी जाने पर अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 13917/2020 प्रस्तुत की जिस पर माननीय माननीय राजस्थान उच्च न्यशयालय ने दिनांक 01.02.2021 को आदेश पारित किया कि प्रार्थीगण नियुक्ति बाबत संबंधित जिला कलक्टर के समक्ष अपील परस्तुत करें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2021 में यह भी निर्देश दिये है कि अपील प्रस्तुत करने के पश्चात जिला कलक्टर उक्त अपील का निस्तारण कानून अनुसार सुनवाई का मौका देते हुऐ दो माह में करे। अपीलार्थीगण उपरोक्त पदों पर चयन बाबत बार बार लिखित एवं मौखिक रूप से निवेदन कर चुकी है । उपरोक्त केन्द्र में आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी का पद अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षित है, परन्तु विपक्षीगण ने आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर गलत रूप से ओ बी सी महिला का चयन किया गया था जो कि निरस्त किया जा चुका है तथा उसके पश्चात विपक्षी संख्या 3 व 4 ने अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त केन्द्र में कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति हेतु अपीलार्थिया का चयन भी किया गया, परन्तु आज दिनांक तक अपीलार्थी संख्या 1 को नियुक्ति नहीं दी गई तथा आशा सहयोगिनी का पद जानबूझ कर रिक्त रखा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आंगनबाडी केन्द्र में अपीलार्थी संख्या 1 को आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा अपीलार्थी संख्या 2 को आशा सहयोगिनी के रूप में नियुक्ति दिया जाना अपीलार्थीगण के न्यायहित एवं कानूनन आवश्यक है। उपरोक्त केन्द्र में अवैध रूप

जिला कलक्टर
जयपुर

से नियुक्ति श्रीमती गुड्डी सैनी का नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त पद पर अपीलार्थी संख्या 1 को नियुक्ति दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, परन्तु विपक्षीगण द्वारा जान बूझ कर अपीलार्थीगण को वंचित किया जा रहा है ऐसी स्थिति में उक्त पद पर अपीलार्थी संख्या 1 को नियुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। क्योंकि विभागीय नियमों, दिशा निर्देशों विज्ञप्ति दिनांक 11.08.2018 के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षित पद पर अनुसूचित जन जाति वर्ग की महिला की ही नियुक्ति की जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6, जिला जयपुर में अपीलार्थी संख्या 1 को आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं अपीलार्थी संख्या 2 को आशा सहयोगिनी के पद पर नियुक्ति दिये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुये कथन किया है कि ग्राम कोटखावदा के आगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6, हेतु आगनबाडी कार्यक्र्ता /सहायिका/ आशा सहयोगिनी के पद भरने हेतु विचज्ञप्ति 14/2018–19 दिनांक 11.09.2018 को जारी की गई थी। जिसमें इस केन्द्र को अनुसूचित जन जाति दर्शाया गया था आगनबाडी केन्द्र के लिए जो सर्वे किया गया उसके अनुसार आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा 6 के कवरेज क्षेत्र 50 प्रतिशत या इससे अधिक आबादी अन्य पिछडा वर्ग की आती है। अतः विभागीय परिपत्र अनुसार विज्ञप्ति में सामान्य श्रेणी दिया जाना चाहिये था। आंगनबाडी केन्द्र कोटखावना–6, कार्यकर्ता के पद भरे हेतु उपयुक्त जारी विज्ञप्ति के सन्दर्भ में तीन आवेदन प्राप्त हुऐ (1) गुडडी सैनी (ओबीसी) (2)ममता देवी (एससी) रिंकू मीणा (एसटी) जिसमें से उपखण्ड अधिकारी चाकसू की अध्यक्षता में आयोजित चयन समिति की बैठक दिनांक 17.01.2019 को श्रीमती गुड्डी देवी (ओबीसी) कार्यकर्ता पद हेतु चयन किया गया जो कि विभागीय परिपत्र के अनुसार नही था। आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा 6 कार्यकर्ता के पद भरने हेतु सर्वे के अनुसार एसटी आरक्षित होने के कारण उपर्युक्त त्रुटि हुई । त्रुटि को संशोधन करने हेतु दिनांक 18.02.2019 को उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति की पुनः बैठक आयोजित की गई जिसमे बिन्दू संख्या 1 पर चयनित महिला श्रीमती गुड्डी सैनी का चयन निरस्त कर विभागीय नियमानुसार श्रीमती रिंकू मीणा का आंगनबाडी कार्यकर्ता पद हेतु सर्व सम्मति से चयन किया गया है। आंगनबाडी केन्द्र कोटखावना–6 आशा सहयोगिनी के रिक्त पद हेतु सात आवेदन प्राप्त हुये जिनमें तीन फार्म एसटी के तीन मार्फ ओ बी सी के तथा एक फार्म मान्य श्रेणी का प्राप्त हुआ। इनके चयन हेतु दिनांक 17.01.2019 को उप खण्ड अधिकारी चाकसू की आंगनबाडी केन्द्र कोटखावदा–6 आशा सहयोगिनी के गलत चयन में संशोधन हेतु पुनः दिनांक 18.02.2019 को उपखण्ड अधिकारी चाकसू की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें आगनबाडी केन्द्र (एसटी) होने के कारण नियमानुसार अधिकतम प्राप्तांक वाली श्रीमती धापू मीणा का आशा सहयोगिनी पद हेतु सर्व सम्मति से चयन किया गया। श्रीमती गुड्डी देवी ने अपने स्वयं के चयन होने के उपरान्त कार्य आदेश जारी नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट कम संख्या 19 जयपुर (चाकसू) में वाद संख्या 12/ प्रार्थना पत्र संख्या 13 /2021 दायर कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है। श्रीमती रिंकू मीणा एवं धापू मीणा का चयन क्रमशः आगनबाडी कार्यकर्ता एवं आश सहयोगिनी के पद पर होने के उपरान्त परियोजना अधिकारी चाकसू द्वारा कार्य आदेश जारी करने के कारण उक्त दोनों प्रार्थियों ने परियोजना

अधिकारी चाकसू को दिनांक 17.10.2019 को विधिक नोटिस भिजवाये । उक्त नोटिस के कम में परियोजना अधिकारी चाकसू ने उचित मार्गदर्शन हेतु उप विधि परामर्शी आई सी डी एस को पत्र लिखा जिसका जवाब निदेशालय से आज दिनांक तक परियोजना अधिकारी चाकसू को प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशक आई सी डी एस राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक 43612 दिनांक 12.05.2020 के द्वारा प्राप्त निर्देशो में आंगनबाडी कार्मिकों के चयन आदेश के संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी चाकसू द्वारा उक्त कर्मियों को कार्य आदेश जारी नही किये गये है। अतः अपील खारिज फरमावें।

7. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

8. ग्राम कोटखावदा–6 के लिए आंगनबाडी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी के रिक्त पदों को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरने के लिए विज्ञप्ति संख्या 14/2018–19 दिनांक 11.09.2018 को जारी की गई है। जिसके कम में श्रीमती रिंकू मीणा को आगनबाडी कार्यकर्ता व श्रीमती धापू मीणा को आशा सहयोगिनी पद के लिए चयन कर लिया गया। तत्पश्चात सर्वे के आधार पर कोटखावदा–6 के कवरेज क्षेत्र 50 प्रतिशत या इससे अधिक आबादी अन्य पिछडा वर्ग की होने का कारण अंकित करते हुये सामान्य श्रेणी की गुड्डी सैनी का आंगनबाडी कार्यकर्ता के रूप में चयन कर लिया। विभाग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति जिसमें पद अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षित किया गया था उस त्रुटि को संशोधित करते हुए नई विज्ञप्ति सामान्य श्रेणी हेतु जारी नही की गई एवं जानकारी के आधार पर ही विज्ञप्ति के विपरीत सामान्य श्रेणी का चयन कर लिया गया। एतराज होने पर पुनः चयन समिति द्वारा अनुसूचित जन जाति विज्ञप्ति अनुसार आरक्षित का चुनाव कर लिया गया। इस प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम कोटखावदा–6, आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद के लिए एक से अधिक श्रेणी की अभ्यर्थियों का चयन किये जाने से चयन प्रकिया विवादित है। इस सम्बन्ध में बाल विकास परियोजना अधिकारी चाकसू द्वारा उपविधि परामर्शी महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर को उचित मार्ग दर्शन के लिए पत्र लिखा गया है, जिनके द्वारा इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

9. निदेशक/उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि दो माह में इस पर निर्णय लेकर मामले को निस्तारित करें । यदि दो माह में विभाग द्वारा मामले को निस्तारित नहीं किया जाता है, तो अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई मूल विज्ञप्ति संख्या 14/2018–19 दिनांक 11.09.2018 के अनुसार चयनित अपीलार्थीगण को नियुक्त दी जावे।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/8/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर